

संख्या 2-14/प0 व नि0 अनु0/2010 /115

वन अनुसंधान संस्थान,  
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद  
डाकघर न्यू फॉरेस्ट, देहरादून


कार्यालय / Office  
वन सूचना विज्ञान प्रभाग  
Forest Informatics Division  
Diary No. 629  
दिनांक 1-12-15

दिनांक 30, नवम्बर, 2015

## परिपत्र

सुरक्षा की दृष्टि से संस्थान परिसर आउट हाउस में रहने वाले वाहरी व्यक्ति ठेकेदारों तथा उनके श्रमिकों का पुलिस सत्यापन घारा 83 उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत अनिवार्य है और न कराने पर राज्य सरकार / न्यायालय के द्वारा रू0 10,000/- के जुर्माने का प्रावधान है।

अतः संस्थान परिसर में रहने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे संलग्न सत्यापन फार्म में वांछित सूचना भर कर उपरोक्त व्यक्तियों का सत्यापन पुलिस चौकी पण्डितवाडी में कराना सुनिश्चित करे साथ ही सत्यापन की एक प्रति फोटो सहित व 04 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इस कार्यालय को भी दिनांक 10-12-15 तक उपलब्ध कराये।

  
कुलसचिव 30/11/15

वन अनुसंधान संस्थान

मानक वितरण

(उत्तराखण्ड पुलिस अधि० 2007 की धारा 52(3) के अनुसार सत्यापन न करने पर धिनियम की धारा 83 (1) के अनुसार दण्डनीय है)



- 1. मकान मालिक का नाम व व्यवसाय.....
- 2. पता.....
- 3. कार्यालय/मोबाईल नम्बर.....

घरेलू नौकर/कर्मचारी का विवरण

रुध्रायी 1. नाम..... पुत्र.....  
पता..... थाना..... जिला..... प्रदेश.....

2. फोन न० / मो० न०.....

3. ग्राम प्रधान / वार्ड सदस्य का नाम.....

पारिवारिक सदस्यों का विवरण

- 1. नाम..... उम्र.....
- 2. नाम..... उम्र.....
- 3. नाम..... उम्र.....
- 4. नाम..... उम्र.....

4. वर्तमान पता.....

5. छाप अंगुल:- दायें हाथ उगलियां (गुंठा से)

--	--	--	--	--

6. छाप अंगुल:- बायें हाथ उगलियां (गुंठा से)

--	--	--	--	--

हस्ता० किरायेदार / नौकर / कर्मचारी  
मालिक / ठेकेदार

हस्ता० गकान

पावति (प्राप्ति स्वीकृति)

श्री / श्रीमती..... पुत्र / पत्नी..... नि०.....

फोन न०..... द्वारा उपरोक्त किरायेदार / नौकर / कर्मचारी को काम से पहले सत्यापन हेतु फार्म द्वारा दिए जाने की सूचना श्री..... पुत्र..... उपरोक्त से प्राप्त किया।

दिनांक.....

थाने पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
नाम व पद थाने की महर

Watch and Ward Section  
Forest Research Institute  
Dehradun 248 006, Uttarakhand

1.	Bungalow No. and address	
2.	Name of the Officer /Official	
3.	Name of the Office/Division/Branch	
4.	No. and type of pet(s)	
5.	No. and type of domestic animal(s)	

**Registration and Verification of Outhouse Residents**

1.	Head of the outhouse occupant			
Phone / Mobile No :				
Voter ID / Ration Card / Any other ID Proof				
2.	Permanent address (as per following)			
House No./ Name				
Street / Mohalla / Village				
Ward / Tehsil / Taluke				
Police Station				
District and Postal code				
State and Country				
3.	Name of relatives staying in FRI			
Name(s) of the relative		Bungalow No. and address		
4.	No. of family members with name, sex and age as per following table			
Name		Sex	Age	Photo(s) of all outhouse residents
5.	No. and type of pet(s)			
6.	No. and type of domestic animal(s)			

Date:

Signature of the Officer  
Name: